किसानों की आय बढ़ाने में ऋण का योगदान

–प्रो. चरण सिंह, एस. अनंत, सी.एल. दाधीच

किसानों की आय दोगुनी करने के विशाल लक्ष्य को देखते हुए मौजूदा कृषि में बदलाव लाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए एक समग्र दृष्टि अपनाने की जरूरत है। इसमें बाजार तक पहुंच, उपज उत्पादकता, इनपुट की गुणवत्ता और उपलब्धता तथा कृषि विस्तार सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए प्रस्तावित रणनीति में जल संरक्षण समेत सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है ताकि 'प्रति बूंद अधिक फसल' हासिल की जा सके। अच्छी किस्मों के बीज मुहैया कराना, पोषकों का बेहतर इस्तेमाल, कटाई के बाद के नुकसान को घटाना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना, जोखिम कम करना तथा सहायक गतिविधियों में तेजी लाना भी इस रणनीति में शामिल है। वित्तमंत्री भी पिछले दो वर्षों के केंद्रीय बजट के जरिए सिंचित क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की रणनीतियों पर जोर देते रहे हैं। इन रणनीतियों में नाबार्ड में दीर्घकालिक सिंचाई कोष बनाना, भूजल संसाधनों का सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करना तथा तालाब और कुएं खोदने के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त धन का इंतजाम शामिल है। एक डेयरी प्रसंस्करण और ढांचागत विकास कोष का गठन भी इन रणनीतियों का हिस्सा है।

2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सराहनीय होने के साथ ही बेहद कठिन भी है। भारत के श्रम बाजार और हमारी कृषि के स्वरूप को देखते हुए यह लक्ष्य काफी महत्वपूर्ण है। देश में कुल श्रमशक्ति का लगभग आधा और ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन दो–तिहाई हिस्सा खेती से जुड़ा है। लिहाजा उपभोक्ता मूल्यों में तेज वृद्धि के बिना किसानों की आमदनी बढ़ाना इस लक्ष्य को और भी मुश्किल बना देता है। इस लक्ष्य को उन परिवारों के लिए आय सृजन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिनकी लगभग 63.7 प्रतिशत आमदनी कृषि से और सिर्फ 3.7 फीसदी मवेशियों से होती है।

खेती से आय दोगुनी करने के लिए देश में कृषि के तौर–तरीकों में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। क्या देश को एक और हरितक्रांति लाने की कोशिश करनी चाहिए? पंजाब में हरितक्रांति का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। भूमि क्षय, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन और भूजल–स्तर में तेजी से गिरावट ने किसानों को कर्ज के जाल में फंसा दिया है तथा उनमें कैंसर और गुर्दा खराब होने जैसी बीमारियां बढ़ी हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने के विशाल लक्ष्य को देखते हुए मौजूदा कृषि में बदलाव लाने और उसे आधुनिक बनाने के लिए एक समग्र दृष्टि अपनाने की जरूरत है। इसमें बाजार तक पहुंच, उपज, उत्पादकता, इनपुट की गुणवत्ता और उपलब्धता तथा कृषि विस्तारण सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल होना चाहिए। कृषि ऋण की मौजूदा आपूर्ति को पुनर्परिभाषित और पुनर्संयोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार करना भी इसका हिस्सा होना चाहिए। अध्ययनों के अनुसार जो किसान खेती जारी रखना नहीं चाहते उनमें से लगभग दो–तिहाई इसकी वजह कृषि का अलाभकारी होना बताते हैं। लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीति निर्माताओं को कृषि उत्पादों के बिक्री मूल्य और लागत पर विचार करना होगा। कुछ कृषि अर्थशास्त्री आमदनी बढ़ाने के लिए महंगी फसलें उपजाने का सुझाव देते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए व्यापक समग्र दृष्टि की एक अन्य संभावित रणनीति के तौर पर स्मार्ट खेती और इसके लिए ऋण व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया है।

महंगी और खासतौर से वाणिज्यिक फसलें उपजाने का सुझाव स्वागत योग्य है। लेकिन इस रणनीति को बड़े पैमाने पर अपनाने से कृषि खाद्यान्नों की ओर से विमुख हो जाएगी। इससे बुनियादी भोजन की मौजूदा संस्कृति बाधित होगी और भारत की खाद्य सुरक्षा

खतरे में पड़ सकती है। खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ने से खाद्यान्नों की तंगी और पीएल–480 के तहत अमेरिकी सहायता पर निर्भरता की आशंका फिर से पैदा होने का जोखिम है। इसलिए महंगी फसलों पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के बजाय कृषि आय के विविधीकरण को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि गतिविधियां आय का महत्वपूर्ण स्रोत हों मगर एकमात्र नहीं। खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन आय के अन्य स्रोत हो सकते हैं। दूध और शहद जैसी चीजों के उत्पादन पर जोर देकर भी किसान परिवारों की आय में इजाफा हो सकता है। खेत में ही कृषि प्रसंस्करण के आसान तरीकों के जरिए उत्पाद का मूल्य संवर्द्धन भी एक रास्ता है। बढ़ते मशीनीकरण ने किसानों को इसके लिए पर्याप्त खाली समय मुहैया कराया है। मसलन टमाटर उपजाने वाले किसान उत्पाद का कुछ भाग बाजार में बेच और बाकी का केचप बनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी तरह गन्ना उपजाने वाले किसान अपने उत्पाद का कुछ हिस्सा चीनी मिलों को बेच बाकी का खेत में ही गुड़ बना सकते हैं। लेकिन इस तरह के विविधीकरण और बदलाव के लिए कार्यशील पूंजी, वित्तीय साक्षरता और विपणन कौशल की जरूरत पड़ेगी। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए औपचारिक क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था की दरकार होगी। इसके अलावा, अगर मूल्य संवर्द्धन और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है तो कटाई के बाद की बेहतर पद्धतियों में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी और इसे भी उत्पादन चक्र का जरूरी तत्व माना जाना चाहिए।

कृषि उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना तथा खेती की उपज के लिए उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच संयोजन कायम करना इस तरह के बदलाव को प्रोत्साहित करने का एक टिकाऊ तरीका होगा। निस्संदेह इस तरह के संयोजन के लिए नए निवेशों की दरकार होगी। सरकार सिंचाई सुविधाओं में सुधार समेत बेहतर जल प्रबंधन तकनीकों, सड़क नेटवर्क और प्रौद्योगिकी ढांचागत सुविधाओं के रूप में इसकी योजना पहले से ही बना रही है। इससे वृहद् और बेहतर परिवेश बनाने में मदद मिलेगी।

आय बढ़ाने में ऋण की भूमिका पर नीति निर्माताओं के बीच विचार–विमर्श तुरंत जरूरी होने के बावजूद ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वजह यह गलत धारणा है कि हर बजट के साथ कृषि क्षेत्र के लिए ऋण में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्तवर्ष 2017–18 के बजट में वाणिज्यिक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से 10 लाख करोड़ रुपये कृषि ऋण का प्रावधान किया गया जो 2016–17 में सिर्फ 8.8 लाख करोड़ रुपये था।

किसानों की पीढ़ियों में बदलाव के साथ ही स्थितियों में भी परिवर्तन आ रहा है। ग्रामीण ऋण की दिशा और प्रकृति किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले ग्रामीण भारत में भूस्वामित्व के स्वरूप और गतिकी में बदलाव की बात करें। देश में पिछले दो दशकों में भूस्वामित्व के स्वरूप में लगातार बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव देश की बदलती जनसांख्यिकी और शिक्षा पर बढ़ते जोर की वजह से है। इन सब ने मिलकर गांवों से शहरों की ओर पलायन को बढ़ावा दिया है। नतीजतन कृषि में काश्तकार किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह प्रवृत्ति 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वाले किसानों के बीच अधिक दिखायी देती है। काश्तकार किसानों की संख्या का कोई सटीक आकलन नहीं है। लेकिन लगभग 2 करोड़ परिवारों के काश्तकार किसान होने का अनुमान है। जमीनों का छोटे–छोटे टुकड़ों में बंटना एक और अभिशाप है। इस पर पहले से ही काफी गौर किया जा चुका है। सरकारी दस्तावेजों में इस पर जोर दिया गया है।[1] अनुमानों के अनुसार ग्रामीण भारत में लगभग 69 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास एक हेक्टयर से भी कम जमीन है। 17 प्रतिशत परिवारों के पास एक से दो हेक्टेयर के बीच जमीन है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार लगभग 36 प्रतिशत काश्तकार किसान भूमिहीन हैं। इसके अलावा 56 प्रतिशत काश्तकार परिवार एक हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक हैं।

रियायती ऋण समेत विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उन्हीं भूस्वामियों को मिलता है जो संभवतः अपनी जमीन पर खेती नहीं कर रहे। इसके विपरीत जमीन पर खेती करने वाले काश्तकार ऊंची ब्याज दरों पर अनौपचारिक बाजारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं जिसका सीधा असर खेती की लागत पर पड़ता है। कृषि उपज का 10 से 25 प्रतिशत हिस्सा उन्हें खेत के किराये के रूप में चुकाना होता है। कृषक परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी चीजों पर होने वाले खर्च और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी अक्सर कर्ज लेते हैं जिससे उन पर बोझ और बढ़ जाता है। इस तरह भारतीय कृषि में लाभ काफी हद तक संस्थागत ऋण के खर्च, इस तक पहुंच और इसकी उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। संस्थागत स्रोतों ने 2012 में नीचे के 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को सिर्फ लगभग 7.9 प्रतिशत ऋण मुहैया कराया। इसके विपरीत चोटी के 10 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को उन्होंने लगभग 32.6 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया। इससे पता चलता है कि अनौपचारिक क्षेत्र अब भी ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का महत्वपूर्ण स्रोत है। दिलचस्प बात है कि 2012 में संस्थागत क्षेत्र ने 56 प्रतिशत और गैर–संस्थागत क्षेत्र ने 44 प्रतिशत ऋण दिया। खेती करने वाले परिवारों के कर्ज का अखिल भारतीय औसत 70580 रुपये था।

वास्तव में खेती करने वाले कृषक परिवारों की रियायती ऋण तक पहुंच बढ़ाने से ग्रामीण अनौपचारिक ऋणदाताओं और खेती के सामान बेचने वालों से मोल–भाव करने की उनकी क्षमता बढ़ेगी। अनौपचारिक ऋणदाता और खेती के सामान बेचने वाले अक्सर किसानों को अपनी उपज उन्हें ही कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। कई क्षेत्रों में ऋण की कीमत उपज के बिक्री मूल्य से जुड़ी होती है। नतीजतन छोटे और सीमांत किसानों तथा काश्तकारों के पास अपनी उपज को रोक कर रखने और उनकी सर्वश्रेष्ठ कीमत मांगने की क्षमता सीमित या एकदम ही नहीं होती है। एक अनुमान के अनुसार गन्ना किसानों को छोड़ दें तो 40 से 60 प्रतिशत कृषक परिवार अपनी उपज स्थानीय निजी व्यापारियों

या खेती के सामान बेचने वालों को बेचते हैं। छोटे, सीमांत और काश्तकार किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाने से कृषक परिवारों के लाभ और आमदनी में काफी वृद्धि होगी।

किसानों की आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री की बहुआयामी रणनीति से एक ऐसा परिवेश बनेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पैदा होगी जो बनी रहेगी। इसके अलावा बैंकों की मौजूदा शाखाओं के जरिए और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के मॉडल को मजबूत कर ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। हाल में लाइसेंस पाने वाले छोटे और भुगतान बैंकों से भी उम्मीद की जाती है कि वे ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ाने में मददगार होंगे। सरकार प्रौद्योगिकी में सुधार के जरिए और कोर बैंकिंग लागू कर सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने पर विचार कर सकती है जिससे भी ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढ़ेगा। कृषि प्रसंस्करण और सहायक गतिविधियों पर जोर के लिए ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता और ऋण के ज्यादा प्रवाह की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए नीति निर्माताओं को तय ढर्रे से बाहर निकल कर सोचना होगा। इस प्रवाह को सुनिश्चित करने का एक तरीका ग्रामीण क्षेत्रों में मंडी व्यापारियों को मजबूत करना हो सकता है। मंडी व्यापारी जोखिम और उत्पाद के मूल्यों में उतार–चढ़ाव का हिसाब लगा कर आमतौर पर एक ही फसल चक्र के लिए अल्पकालिक ऋण देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण बढ़ाने के लिए बैंक शाखाओं के विकल्प के तौर पर बैंकों से मंडी व्यापारियों को जोड़ने की योजना पर विचार करना संभवतः उपयोगी हो। इससे ऊंची दर पर ब्याज वसूलने वाले महाजनों को प्रतिस्पर्धा से बाहर करना संभव होगा। प्रस्तावित योजना में मंडी व्यापारियों के लिए वित्त का प्रबंध एक संस्थागत ढांचे से होगा और उन्हें पूरे साल लगातार ग्राहक मिलेंगे। मंडी व्यापारी कृषि उपकरणों और निवेश के लिए कर्ज पर संस्थागत बैंकिंग के मानदंडों के अनुसार मामूली दर से ब्याज लेंगे। सरकार खर्च को और घटाने के लिए मंडी व्यापारियों को आर्थिक सहायता दे सकती है। ऐसी स्थिति में मंडी व्यापारी एटीएम की तरह काम करेंगे। इससे किसान महाजनों से ऊंची दर पर कर्ज लेने से बचेंगे और कृषि पर होने वाले उनके खर्च में कमी आएगी।

(प्रोफेसर चरण सिंह, आईआईएम, बंगलौर में अर्थशास्त्र के आरबीआई चेयर प्रोफेसर हैं; प्रोफेसर एस.अनंत सहायक प्रोफेसर, आईडीआरबीटी हैं; सी.एल. दाधीच इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में सचिव हैं।)

किसानों के लिए नई योजना संपाडा

छह सौ करोड़ रुपये के आवंटन के साथ संपाडा को शुरू किया जा रहा है। इसमें 31,400 करोड़ रुपये का निवेश होगा जिससे 1,04,125 करोड़ रुपये का 334 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन होगा। इससे 20 लाख किसानों को लाभ होगा और 2019–20 के दौरान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देशभर में 5,30,500 रोजगार सृजित होंगे। संपाडा का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि अपशिष्ट को कम करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना – संपाडा (कृषि–समुद्री प्रसंस्करण और कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए योजना) के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए अनुमोदित कर दिया। यह अनुमोदन 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ 2016–20 अवधि के लिए दिया गया है।

संपाडा एक ऐसी योजना है जिसके नीचे मंत्रालय की मेगा फूड पार्क्स, एकीकृत कोल्डचेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर इत्यादि जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें नई योजनाएं जैसेकि एग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और अग्रेषण निर्माण संबंधी, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण की क्षमता का निर्माण और विस्तार शामिल है।

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को एक नया आयाम देने के लिए संपाडा जैसा एक व्यापक पैकेज तैयार किया गया है। इसमें एग्रो–प्रोसेसिंग क्लस्टर, पिछड़े और अग्रेषण निर्माण संबंधी, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का विस्तार जिसका मकसद कारोबारियों को नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, आधुनिकीकरण और आपूर्ति शृंखला को आधुनिक बनाना आदि शामिल है।

संपाडा के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास होना जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट पहुंच सकेगा। इसके लिए कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन तैयार किया जाएगा। यह न केवल देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा बल्कि उन्हें बेहतर कीमत प्रदान करने में भी मदद करेगा। साथ ही यह किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भारी रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह कृषि उत्पाद के अपव्यय को कम करने, प्रसंस्करण–स्तर को बढ़ाने, उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और संसाधित खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में भी मदद करेगा।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। इन उपायों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास 7 प्रतिशत हो गया है। बागवानी और गैर–बागवानी के उत्पादन के बाद फसल के नुकसान को कम करने के लिए, खेत से बाजार तक के लिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 42 मेगा फूड पार्कों और 236 एकीकृत कोल्ड चेन को मंजूरी दी गई है। 42 मेगा फूड पार्कों में से आठ का परिचालन चालू है। इसमें से पिछले 3 वर्षों के दौरान 6 मेगा फूड पार्क्स चालू किए गए हैं। इसके अलावा, अगले तीन महीनों में और चार मेगा फूड पार्कों का संचालन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह मार्च 2017 में 236 में से 101 कोल्ड चेन को मंजूरी दे दी गई। 100 कोल्ड चेन परिचालित हो रही है। 63 कोल्ड चेन को पिछले तीन वर्षों के दौरान परिचालित किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कुछ अन्य कदम

- ई–कॉमर्स के जरिए व्यापार में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।
- नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये की विशेष निधि की स्थापना।
- खाद्य संसाधन और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्डचेन के बुनियादी ढांचे को प्राथमिक स्तर पर ऋण देने के दायरे के तहत लाया गया।